UPBD010022012026

<u>न्यायालय- सेशन न्यायाधीश, बांदा।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 975 / 2026

सौरभ कुमार वर्मा पुत्र स्व० देशराज वर्मा, निवासी- ग्राम रामपुर कुर्मी, थाना चाँदपुर, जिला फतेहपुर।

बनाम

उ० प्र० राज्य।

मु०अ०सं०- 105 / 2026
धारा- 303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस.
<u>थाना- तिन्दवारी, जिला बांदा।</u>

<u>01.07.2026</u>

1. जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सौरभ कुमार वर्मा की ओर से मु०अ०सं०–105/2026, धारा–303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस., थाना तिन्दवारी, जिला बांदा के मामले में जरिये अधिवक्ता जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शालिनी वर्मा के शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने में प्रार्थनापत्र देकर इस आशय की प्राथमिकी पंजीकृत करायी कि वह ट्रक संख्या UP 71 BT 3150 को चलाता है। वह उक्त ट्रक में कबरई (महोबा) गिट्टी लादने जा रहा था। दिनांक 25.04.2026 को रात में करीब 12 बजे के बाद जब उसका ट्रक थाना तिन्दवारी के सैमरी नाला पेट्रोल पम्प के पास पहुंचा तभी उसे नींद आने लगी तो वह ट्रक को रोड किनारे खड़ी करके सो गया था। इसी बीच किसी ने ट्रक की टैंक से लगभग 350 लीटर तेल चोरी कर लिया था। उसने इसकी सूचना 112 पर किया था। इसके बाद वह ट्रक लेकर चला आया था। थाने पर उस समय कोई लिखित सूचना नहीं दिया था। आज लिखित सूचना दे रहा है। उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये है कि उक्त प्रकरण में उसे रंजिशन व साजिशन झूठा फंसा दिया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष है।

Digitally signed by ARPANA SHARMA
Date: 2026.07.01 16:44:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब एक माह विलम्ब से कानूनी सलाह मशविरा कर पुलिस से मिलकर षडयन्त्र के तहत दर्ज करायी गयी है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। उसको उक्त घटना में ट्रक से डीजल चोरी करने एवं कथित घटना स्थल पर गिरफ्तार कर बरामदगी किये जाने का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उक्त कथित घटना की फर्द बरामदगी में उसका कोई हस्ताक्षर अथवा निशान अंगूठा नहीं है। जिससे कथित बरामदगी व गिरफ्तारी झूठी साबित होती है। कथित दिनांक, समय व स्थान को उसे कथित स्कार्पियों वाहन से न तो गिरफ्तार किया गया है तथा न ही उसके द्वारा उक्त वाहन में कोई फर्जी नम्बर प्लेट लगायी गयी है तथा न ही उससे किसी प्रकार के कथित डीजल, पिपिया या पाइप बरामद किया गया है बल्कि उसे उसके घर से गाड़ी सहित दो दिन पहले गिरफ्तार कर झूठा फंसाया गया है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के पूर्व तैयार किये गये गिरफ्तारी प्रपत्र का समस्त विवरण बी.एन.एस.एस. में विहित प्राविधानों के विपरीत है तथा उसको 7 वर्ष से कम की अवधि का अपराध बताकर गिरफ्तार किया गया है। उसे थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा मात्र उसके बुराईदारों/दुश्मनों से मिलकर घर से पकड़कर झूठा चालान किया गया है। उसने दिनांक 24.05.2026 को बांदा में किसी भी ट्रक के डीजल की चोरी नहीं की है बल्कि उक्त दिनांक को वह अपनी भतीजी की गोद भराई कार्यक्रम में मौजूद रहा है। उसके विरूद्ध कोई अपराध मेड आउट नहीं होता है। उक्त प्रकरण में वह दिनांक 31.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है , कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा श्रीमान जी के समक्ष लम्बित या खण्डित नहीं हुआ है। उक्त आधार पर वाद उपरोक्त में ताफैसला मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

4. जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किए जाने का कथन किया है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा स्कार्पियों गाड़ी पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर उसका उपयोग डीजल चोरी करने तथा उसके पास से डीजल व रूपये आदि की बरामदगी का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार बांदा में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास अभिकथित नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों व

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, प्रथम दृष्टया जमानत योग्य मामला बनता है, तदनुसार गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. आवेदक/अभियुक्त सौरभ वर्मा का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू, विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या दबाव नहीं डालेगा।

2. अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों को नष्ट नहीं करेगा।

3. अभियुक्त दौरान विचारण प्रत्येक नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

4. अभियुक्त अपना मोबाइल नंबर न्यायालय में उपलब्ध करायेगा तथा अभियुक्त के स्थायी पते का नियमानुसार सत्यापन कराया जाये।

(अल्पना)
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं.- UP05748)

दिनांकः 01.07.2026